

12/12/2020

108-12-20

संख्या-2181/111(2)/20-06(एम0एल0ए0)/2017टी.सी.1

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

धन सिंह कुटियाल
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा-276/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में गैरसैण के दिवालीखाल-भराडीसैण राज्य मोटर मार्ग संख्या-55 का सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तन एवं सुदृढीकरण कार्य (द्वितीय चरण) की की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

देहरादून : दिनांक दिसम्बर, 2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., पौड़ी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों जिसकी कुल लम्बाई 4.00 किमी0 एवं लागत ₹ 949.39 लाख है, पर पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 853.16 लाख (आठ करोड तिरपन लाख सोलह हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 0.10 लाख (दस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी क अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लो निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पट करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

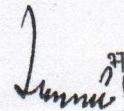
(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेंट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22, लेखापीर्शक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। (5054-04-800-03-02)

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-622/XXVII(2)/2020 दिनांक 02 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।


भुवदीय,
(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

संख्या- (1)/III(2)/20-06(एम.एल.ए.)/2017.TC.I तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि. पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सौतवा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., गैरसैण।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

आवंटन पत्र संख्या -2181/III(2)/20-6(MLA)/2017TCI

आवंटन आई डी-S20120220006

अनुदान संख्या-022

आवंटन पत्र दिनांक-05-DEC-2020

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत

04-District and other Roads

परिव्यय

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-

Voted

03-02से स्थानान्तरित)

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					2080000	10000	0	2090000				
योग					2080000	10000	0	2090000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 1091 / 20 याता0'क' / 2020

दिनांक- 11.12.2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
- अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैण।
- ✓ अधिशाली अभियन्ता, आईटी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।


 (आई0एस0 रावत)
 मुख्य प्रशासनिक अभियन्ता